न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी, मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 01/2024/निगरानी

1. सुमन देवी पत्नि कैलाशचन्द
2. रेखा देवी पुत्री कैलाशचन्द
3. शालू पुत्री कैलाशचन्द
4. गगन पुत्र कैलाशचन्द

समस्त जाति माली, निवासीगण वार्ड नं. 2, कावट सैनी मौहल्ला, कांवट, तहसील खण्डेला, जिला–सीकर (राज.)

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र सीताराम, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 2, कावट सैनी मौहल्ला, कांवट, तहसील खण्डेला, जिला–सीकर (राज.)
2. ग्राम पंचायत कांवट, पंचायत समिति खण्डेला, तहसील खण्डेला, जिला–सीकर (राज.) जरिये सरपंच

–गैर निगरानीकर्ता

उपस्थितः–

1. श्री नानूराम, अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री किशोर कुमार सैनी, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.09.2024
द्वारा प्रशासन स्थाई समिति, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर

निर्णय

दिनांकः 25 मार्च, 2025

1. निगरानीकर्ता की ओर से वकील **श्री नानूराम** ने गैरनिगरानीकर्ता द्वारा प्रशासन स्थाई समिति, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत अपील बउनवानी ओमप्रकाश बनाम ग्राम प्रचायत आदि में निर्णय दिनांक 11.09.2024 के द्वारा निगरानीकर्ता संख्या 1 के पति व 2 लगायत 4 के पिता के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 02.03.1993 को निरस्त किये जाने के विरूद्ध पेश की गई है। प्रस्तुत निगरानी के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया हैः–

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(1) ग्राम पंचायत खण्डेला जिला सीकर ने निगरानीकर्ता संख्या 1 के पति व 2 ता 4 के पिता के पक्ष में राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 267 के तहत दिनांक 02.03.1993 को 150 वर्गगज का निःशुल्क पट्टा जारी किया गया था। जिसके विरूद्ध गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने 30 वर्ष पश्चात पंचायत समिति खण्डेला की प्रशासन स्थायी समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें गैरनिगरानीकर्ता के पति एवं पिता के नाम जारी पट्टा निरस्त कर दिया गया।

(2) प्रश्नगत पट्टा दिनांक 02.03.1993 को जारी किया गया है जिसकी अपील दिनांक 19.01.2024 को 30 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गई है। ऐसे मामलों में अपील की मियाद 30 दिवस है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में अपील 30 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर है।

(3) अधीनस्थ पंचायत समिति ने पट्टा की शर्त संख्या 8 जिसमें दो वर्ष के अंदर पट्टाधारी को भूमि में मकान या झुंपड़ा बनाना आवश्यक है का उल्लंघन मानकर पट्टा निरस्त किया गया है। प्रथमतया यह शर्त नियमों में नही है तथा पट्टाधारी ने इस भूखण्ड में क्या निर्माण कर लिया था और इसका निर्धारण 30 वर्ष पश्चात नहीं किया जा सकता है। इस शर्त के मुताबिक इस शर्त का उल्लघंन होने पर आवंटन अधिकारी को इसकी जांच के पश्चात पट्टाधारी को सुनवायी का अवसर देकर यदि शर्त का उल्लघंन पाया गया तो आवंटन अधिकारी पट्टा निरस्त कर सकता है। आवंटन अधिकारी ग्राम पंचायत कांवट है, जिसने इस विषय में कोई निर्णय पारित नहीं किया है और पंचायत समिति ने 30 वर्ष पश्चात अपील में सीधे ही निर्णय पारित किया है।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(4) विधि के प्रावधानो के मुताबिक व्यथित व्यक्ति ही अपील कर सकता है पट्टा की शर्त संख्या 8 के उल्लघंन के मामले में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व्यथित व्यक्ति नहीं हो सकता है उसे अपील का अधिकार ही नहीं है।

(5) प्रशासन स्थायी समिति में अपील के निर्णय के लिए पांच सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है। कोरम पूरा नहीं हुआ और अकेले प्रधान पंचायत समिति ने निर्णय पारित किया है प्रधान पंचायत समिति को अपील सुनने का व निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है।

(6) अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ प्रशासन स्थाई समिति पंचायत समिति खण्डेला जिला सीकर द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांक 01.09.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

2. निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलब किया गया व ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड तलब किया गया। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से वकील श्री किशोर कुमार सैनी उपस्थित हुए।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील निगरानीकर्ता ने अपने आवेदन में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, ग्राम पंचायत खण्डेला जिला सीकर ने निगरानीकर्ता संख्या 1 के पति व 2 ता 4 के पिता के पक्ष में दिनांक 02.03.1993 को 150 वर्गगज का निःशुल्क पट्टा जारी किया गया था। जिसके विरूद्ध गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने 30 वर्ष पश्चात पंचायत समिति खण्डेला की प्रशासन स्थायी समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें निगरानीकर्ता के पति एवं पिता के नाम जारी पट्टा निरस्त कर दिया गया। प्रश्नगत पट्टा दिनांक 02.03.1993 को जारी किया गया है जिसकी अपील दिनांक 19.01.2024 को 30 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गई है। ऐसे मामलों में अपील की मियाद 30 दिवस है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में अपील 30 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर है। अधीनस्थ पंचायत समिति ने पट्टा की शर्त संख्या 8 जिसमें दो वर्ष के अंदर पट्टाधारी को भूमि में मकान या झुंपड़ा बनाना आवश्यक है का उल्लंघन मानकर पट्टा निरस्त किया गया है। प्रथमतया यह शर्त नियमों में नहीं है तथा पट्टाधारी ने इस भूखण्ड में क्या निर्माण कर लिया था और इसका निर्धारण 30 वर्ष पश्चात नहीं किया जा सकता है। इस शर्त के मुताबिक इस शर्त का उल्लघंन होने पर आवंटन अधिकारी को इसकी जांच के पश्चात पट्टाधारी को सुनवायी का अवसर देकर यदि शर्त का उल्लघंन पाया गया तो आवंटन अधिकारी पट्टा निरस्त कर सकता है। आवंटन अधिकारी ग्राम पंचायत कांवट है, जिसने इस विषय में कोई निर्णय पारित नहीं किया है और पंचायत समिति ने 30 वर्ष पश्चात अपील में सीधे ही निर्णय पारित किया है। विधि के प्रावधानो के मुताबिक व्यथित व्यक्ति ही अपील कर सकता है पट्टा की शर्त संख्या 8 के उल्लघंन के मामले में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व्यथित व्यक्ति नहीं हो सकता है उसे अपील का अधिकार ही नहीं है। प्रशासन स्थायी समिति में अपील के निर्णय के लिए पांच सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है। कोरम पूरा नहीं हुआ और अकेले प्रधान पंचायत समिति ने निर्णय पारित किया है प्रधान पंचायत समिति को अपील सुनने का व निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है। अतः निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ प्रशासन स्थाई

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

समिति पंचायत समिति खण्डेला जिला सीकर द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांक 01.09.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

वकील गैरनिगरानीकर्ता ने कथन किया कि, ग्राम पंचायत कांवट द्वारा निगरानीकर्ता संख्या 1 के पति व 2 ता 4 के पिता के नाम जारी पट्टा दिनांकित 02.03.1993 से सम्बन्धित भूमि गैरनिगरानीकर्ता के कब्जाधिकार की भूमि है। उक्त प्रश्नगत भूमि पर पट्टा जारी किये जाने की दिनांक से आज दिनांक तक निगरानीकर्ता का कोई कब्जा नहीं है। निगरानीकर्तागणों के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज है जिसका विरासत का नामान्तरण भी निगरानीकर्तागणों के पक्ष में दर्ज हो चुका है। राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज होने के बावजूद निगरानीकर्ता निःशुल्क भूमि आवंटित करवाये जाने के अधिकारी नहीं हैं।

दौराने बहस वकील गैरनिगरानीकर्ता ने निम्न न्यायिक दृष्टांत एवं कानूनी नजीरें पेश की हैं।

i. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, घेवरचन्द एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, 11 अगस्त, 2017 एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 8887/2017
ii. राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 पृष्ठ संख्या 177 से 179 धारा 97

वकील गैरनिगरानीकर्ता ने उक्त न्यायिक दृष्टांत एवं कानूनी नजीरों में किये गये वर्णन अनुसार कथन किया कि, जिला कलेक्टर को धारा 97 के अन्तर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 139(5)परावि/शिक्षा/2000/294 दिनांक 01.02.2002 के द्वारा अधिक्रमित कर दिया गया है। जिस कारण निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः निगरानीकर्त्तागणों द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज फरमाया जावे।

4. हमने उभयपक्षकारान के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं कानूनी नजीरों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं कि,

(1) निगरानीकर्ता संख्या 1 के पति व 2 ता 4 के पिता कैलाशचन्द के नाम से जारी पट्टा दिनांकित 02.03.1993 ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया था। जिसकी अपील निगरानीकर्ता द्वारा प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति खण्डेला के समक्ष पट्टा जारी किये जाने के 30 वर्ष से भी ज्यादा अवधि पश्चात प्रस्तुत की गई है। जिसमें प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति खण्डेला ने अपने आदेश

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

दिनांक 11.09.2024 के द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। जिसके विरूद्ध निगरानीकर्त्तागणों द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

(2) वकील गैरनिगरानीकर्ता द्वारा दौराने बहस न्यायिक दृष्टांत एवं कानूनी नजीरें प्रस्तुत कर बहस कथन किया गया है कि, **"जिला कलेक्टर को धारा 97 के अन्तर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 139(5)परावि/शिक्षा/2000/294 दिनांक 01.02.2002 के द्वारा अधिक्रमित कर दिया गया है। जिस कारण निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है।"** परन्तु वकील निगरानीकर्तागणों ने दौराने बहस निवेदन किया है कि, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के पृष्ठ संख्या 178 एवं 179 का अवलोकन करवाया गया। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि, **"[जी.एस.आर. 5 – राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 98 के द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा धारा 97 की शक्तियों को दिनांक 03.12.1996 क्रमांक एफ.139 (19 आर.डी.पी./एल. एण्ड जे./95/3273 द्वारा जिला कलेक्टर को प्रदान किये गये थे। अधिसूचना क्रमांक एफ.139(5)परावि/शिक्षा/2000/294 दिनांक 01.02.2002 द्वारा पूर्ववर्ती अधिसूचना दिनांक 03.12.1996 को अधिक्रमित किया गया था। अधिसूचना 03.12.1996 (पंचों को हटाने संबंधी अधिकार के अलावा) को दिनांक 01.02.2002 से ही पुर्नस्थापित किया जाता है तथा जिला कलेक्टर को दिनांक 03.12.1996 को प्रदान किये गये अधिकारों को उसी दिनांक से पुर्नस्थापित किया जाता है।]"**

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

अतः उक्त आधार पर वकील गैरनिगरानीकर्ता द्वारा किये गये कथन कि, प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है, की सार्थकता नहीं है।

(3) पत्रावली पर उपलब्ध प्रशासन एवं स्थापना समिति, पंचायत समिति खण्डेला द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 की प्रमाणित प्रति में अंकित कथन संक्षेप में निम्नानुसार हैं:–

i. पट्टा दिनांकित 02.03.1993 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कमेटी का गठन किया गया।
ii. प्रस्तुत अपील में सुमनदेवी द्वारा अपने लिखित बयान पेश किये गये हैं।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

iii. ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि, निःशुल्क आवासीय पट्टा बही वर्ष 1992–93 आबादी भूमि विक्रय विलेख आवेदन पत्रों का रजिस्टर वर्ष 1992–93 व कैलाशचंद सैनी के निःशुल्क आवासीय पट्टा पत्रावली वर्ष 1992–93 कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर वर्ष 1992–93 कार्यालय में उपलब्ध है, जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न कर पेश की गई है।

iv. मौका कमेटी द्वारा जारी निःशुल्क पट्टे के स्थान का निरीक्षण किया गया। मौके पर पट्टे की जगह खाली है। जारी पटटे कि बिन्दु संख्या 8 में स्पष्ट अंकित है कि उक्त भूमि पर आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान/झोंपडा इत्यादि बनाना अनिवार्य होगा। यदि इस अवधि में यह कार्य नही किया गया तो भूखण्ड वापस लेने का अधिकार आंवटन प्राधिकारी को होगा। उक्त बिन्दु संख्या 8 की अनुपालना में पट्टा धारक द्वारा आज दिनांक तक मकान/झोंपड़ा नहीं बनाया गया है। मौका कमेटी द्वारा द्वारा कैलाश चंद सैनी पुत्र रामस्वरूप सैनी जाति माली निवासी कांवट को दिनांक 02.03.1993 को जारी पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश की जाती है।

v. पत्रावली सम्मलित दस्तावेज व मौका कमेटी की रिपोर्ट पर कोर द्वारा विचार–विर्मश कर अपीलाट की अपील स्वीकार कर राजस्थान पंचायतीराज, अधिनियम की धारा 61 व नियम 166 के तहत ग्राम पंचायत कांवट द्वारा कैलाश चंद पुत्र रामस्वरूप निवार कांवट को जारी पटटा को खारिज करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है।

(4) उक्त बिन्दु संख्या 3 में प्रशासन एवं स्थापना समिति, पंचायत समिति खण्डेला द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 के विवरण से स्पष्ट है कि अपील की सूचना निगरानीकर्ता को दी गई थी एवं निगरानीकर्ता को सुनवायी के समुचित अवसर भी प्रदान किये गये हैं।

(5) वकील निगरानीकर्ता ने दौराने बहस कथन किया है कि, "प्रशासन स्थायी समिति में अपील के निर्णय के लिए पांच सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है। कोरम पूरा नहीं हुआ और अकेले प्रधान पंचायत समिति ने निर्णय पारित किया है प्रधान पंचायत समिति को अपील सुनने का व निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है।"

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

राजस्थान पंचायतीराज, अधिनियम की धारा 61 में उल्लेखित किया गया है कि, **"अपील की सुनवाई धारा 56 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन गठित पंचायत समिति की स्थायी समिति द्वारा की जायेगी।"**

निगरानीकर्ता की ओर से अपने कथनों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य सबूत अथवा अन्य न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर वह अपने कथनों को साबित करने में असफल रहा है।

(6) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि, प्रशासन एवं स्थापना समिति, पंचायत समिति खण्डेला में प्रस्तुत अपील में निगरानीकर्ता को सुनवायी के समुचित अवसर भी प्रदान किये गये हैं तथा पंचायत समिति की स्थायी समिति को अपील का श्रवणाधिकार है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी तथ्यों से परे आधारहीन होना प्रतीत होती है। अतः प्रस्तुत निगरानी **खारिज** की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक **25 मार्च, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर